

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): P.S. (थाना): टाण्डा Year (वर्ष): 2024
अम्बेडकर नगर

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0331

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 10/10/2024 15:30 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	329(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	352
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	351(3)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): गुरुवार Date from (दिनांक से): 10/10/2024 Date To (दिनांक तक): 10/10/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 10/10/2024 Time (समय): 15:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 060 Date and Time (दिनांक और समय): 10/10/2024 15:30 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 0.2 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):
- (b) Address (पता): मीरानपुरा,
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): रमाकान्त सिंह
- (b) Father's Name (पिताका नाम): स्व० राम प्यारे सिंह
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1954 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	8/397 विकासनगर , उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	8/397 विकासनगर , उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-94155XXXXX

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना कोतवाली टांडा जनपद अंबेडकरनगर

विषय:मकान नंबर-307 मीरानपुरा कस्बा टांडा तहसील टांडा जनपद अंबेडकरनगर को अवैध रूप से कब्जा कर मकान मालिक को जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में। महोदय उपर्युक्त विषयक प्रकरण में आपको अवगत कराना है कि स्वर्गीय कृष्णा देवी पत्नी स्वर्गीय चंद्रभाल सिंह मकान नंबर 307 मीरानपुरा टांडा जनपद अंबेडकरनगर की निवासिनी थी। उनकी मृत्यु दिनांक 10 अगस्त 2019 को हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उक्त मकान उनकी दो बेटियों श्रीमती आशा सिंह व श्रीमती किरन सिंह के नाम हस्तांतरित हो गया है। दाखिल खारिज की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। स्वर्गीय कृष्णा देवी की मृत्यु के उपरांत उनके दोनो बेटियों द्वारा उक्त मकान की देखभाल व रखरखाव के लिए दो कमरे रहने के लिए श्री आनंद राय पुत्र श्री वंश नारायण सिंह जो डिग्री कालेज में संविदा पर पढ़ाते हैं, को दे दिया गया था। अब उनकी नियत खराब हो गयी है और मकान कब्जाना चाहते हैं। उनकी बेटियां जब अपने मकान में आना चाहती हैं और श्री आनंद राय को मकान खाली करने के लिए फोन करती हैं तो उनके द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है। किसी अन्य फोन से काल करने पर जब कभी उठाते हैं तो कहते हैं किसका मकान, खाली करने के लिए कहने पर गंदी-गंदी गालियां देते हैं और कहते हैं कि आप मुझसे उलझेगी तो मैं आप लोगो को गोली मार दूंगा। स्वर्गीय कृष्णा देवी की दोनो बेटियां व दामाद सब बुजुर्ग हैं जो लगभग 68 वर्ष से 75 वर्ष की उम्र में हैं, वह लोग भाग दौड़ करने व श्री आनंद राय से लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। मैं रमाकान्त सिंह पति किरन सिंह उम्र 70 वर्ष प्रश्नगत प्रकरण में लखनऊ से आकर मामले का अनुसरण करता हूँ। मेरे साढ़ू भाई श्री लल्लन सिंह जिनकी आयु भी लगभग 75 वर्ष है। उनकी पत्नी आशा सिंह का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण वाराणसी से टाण्डा कम ही आ पाते हैं। मैं आज जब अपने मीरानपुरा स्थित मकान पर गया तो श्री आनन्द राय मौजूद थे उनसे मैंने वार्ता किया और मकान खाली करने का अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि आप लखनऊ चले जाओ अन्यथा यहां रहने पर मैं आपको ऐसे मारुंगा कि न जीने में रहोगे और न मरने में। उन्होंने कहा वह मकान खाली नहीं करेगे जो करना हो कर लो। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे और मेरे परिवार को श्री आनन्द राय से जान-माल का खतरा है यदि मेरे वह परिवार के साथ कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए श्री आनन्द राय उत्तरदायी होंगे। कृपया श्री आनन्द राय के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कठोर वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें। मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। (श्री आनंद राय का मोबाइल नंबर 73983XXXXX, 98394XXXXX) संलग्नक:1. दाखिल खारिज की प्रति प्रार्थी

(रमाकान्त सिंह)पति श्रीमती किरन सिंह 8/397, विकास नगर, लखनऊ-226022 मो0-94155XXXXX प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।1. क्षेत्राधिकारी पुलिस विभाग ,टाण्डा जनपद-अम्बेडकरनगर।2.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,अम्बेडकरनगर।(रमाकान्त सिंह)पति श्रीमती किरन सिंह 8/397, विकास नगर, लखनऊ-226022 मो0-94155XXXXX (नोट तहरीर की नकल मुझ हे0मो0 उमेश यादव द्वारा कम्प्यूटर पर बोल बोलकर अक्षरशः टाइप कराया गया)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): VED PRAKASH YADAV Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

**Signature of Officer in charge,
Police Station (थाना प्रभारी के
हस्ताक्षर)**

**14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)**

Name (नाम): Deepak Singh

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 932460907

**15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और
समय):**